सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 27.05.2026

जनपद-आजमगढ़

01.थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

● थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा दो अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 26 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा (कीमत लगभग 06 लाख रूपयें) बरामद

● छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर बिक्री हेतु जा रहे दो अभियुक्त पुलिस चेकिंग में गिरफ्तार

● अभियुक्तों के कब्जे से 26.900 किलोग्राम गांजा व एक ऑटो वाहन बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत

● क्षेत्राधिकारी सगड़ी की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही, गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करायी गयी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज अमित कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ऑटो से अंजान शहीद की तरफ से गुलवा गौरी नहर मार्ग होते हुए आ रहे हैं, जिनके पास बोरी में नाजायज गांजा है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा छिछोरी नहर ट्यूबेल के पास घेराबंदी की गयी। कुछ देर बाद संदिग्ध ऑटो वाहन दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन मोड़कर भागने लगा, किन्तु पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन को पकड़ लिया गया। वाहन में बैठे दो व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम 1. अमरजीत पाण्डेय पुत्र रघुनाथ पाण्डेय निवासी जादवपुर दुखहरन थाना जादवपुर जिला गोपालगंज बिहार तथा 2. हरेन्द्र कुशवाहा पुत्र राजकुमार कुशवाहा निवासी कोइन्दी बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर बताया।

क्षेत्राधिकारी सगड़ी की उपस्थिति में नियमानुसार तलाशी लेने पर अभियुक्त अमरजीत पाण्डेय के कब्जे से 16 किलो 515 ग्राम तथा अभियुक्त हरेन्द्र कुशवाहा के कब्जे से 10 किलो 385 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस प्रकार कुल 26 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त ऑटो नम्बर BR28L1774 को कब्जे पुलिस में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे गांजा छत्तीसगढ़ से लेकर बिक्री हेतु जा रहे थे। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-135/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की वीडियोग्राफी भी करायी गयी।

बरामदगी का विवरण-

1.कुल 26 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा

2.एक अदद ऑटो संख्या BR28L1774

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अमरजीत पाण्डेय पुत्र रघुनाथ पाण्डेय निवासी जादवपुर दुखहरन थाना जादवपुर जिला गोपालगंज, बिहार

2.हरेन्द्र कुशवाहा पुत्र राजकुमार कुशवाहा निवासी कोइन्दी बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.अमित कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष बिलरियागंज

2.उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 रतन सिंह पटेल, हे0का0 गांधी यादव, का0 छट्ठू साहनी, रि0का0 आशीष यादव

3.का0 संजय सिंह, का0 आकाश सिंह थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

<u>02. थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ</u>

● **<u>थाना बरदह पुलिस द्वारा अन्तरजनपदीय चोर गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, लगभग सवा सात लाख रुपये का चोरी गया सामान बरामद</u>**

● ग्राम असवनिया स्थित दो विद्यालयों में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, 15 सोलर प्लेट सहित डिजिटल उपकरण व अन्य सामान बरामद

● चोरी के सामान को बेचने जौनपुर जा रहे अभियुक्त पुलिस चेकिंग में गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन सीज

● एक अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व थाना तरवा क्षेत्र के विद्यालय से चोरी गये 2000 रुपये बरामद

दिनांक 19.05.2026 को वादिनी प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय असवनिया तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय असवनिया द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि दिनांक 18.05.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालयों के ताले तोड़कर छत पर लगे सोलर प्लेट, डिजिटल बोर्ड, CPU, प्रिन्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, LED टीवी, गैस सिलेण्डर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0-173/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। दिनांक 26.05.2026 को व0उ0नि0 सुरेशचन्द्र मिश्रा मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान पारा मोड़ पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि असवनिया विद्यालय से चोरी किया गया सामान एक वाहन में लादकर जौनपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गोहहरा की तरफ से आ रही टाटा मैजिक वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। चालक द्वारा वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया गया किन्तु पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन सहित पांच अभियुक्तों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम 1. आदित्य सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी कमरिया थाना तरवा, 2. विपिन सिंह पुत्र विजय नाथ सिंह निवासी असवनिया थाना बरदह, 3. राहुल राजभर पुत्र जेठू राजभर निवासी गोठाव थाना बरदह, 4. संदीप सरोज पुत्र जमुना सरोज निवासी इरनी थाना बरदह तथा 5. रवि राव पुत्र स्व0 मंशा राव निवासी नमदारपुर थाना कन्धरापुर बताया। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों निखिल सिंह व छोटू उर्फ हिमांशु सिंह के साथ मिलकर ग्राम असवनिया स्थित राजकीय बालिका विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से

सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी, डिजिटल बोर्ड, LED टीवी, गैस सिलेण्डर सहित अन्य सामान चोरी किया था तथा आज उक्त सामान को बेचने हेतु जौनपुर ले जा रहे थे।

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त राहुल राजभर के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 2000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में राहुल द्वारा बताया गया कि उक्त रुपये थाना तरवा क्षेत्र स्थित सी0वी0 इण्टर कॉलेज से चोरी किये गये पैसों में शेष बचे रुपये हैं।

बरामदगी का विवरण-

15 अदद सोलर प्लेट, 01 इण्डेन गैस सिलेण्डर, 01 ओकाया बैटरी, 01 स्टेप्लाइजर, 01 CPU, 01 LED टीवी, 02 डिजिटल बोर्ड, 01 माउस, 01 जूट का रस्सा, घटना में प्रयुक्त 01 टाटा मैजिक गोल्ड वाहन, 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 2000 रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.आदित्य सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी कमरिया थाना तरवा जनपद आजमगढ़

2.विपिन सिंह पुत्र विजय नाथ सिंह निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3.राहुल राजभर पुत्र जेठू राजभर निवासी गोठाव थाना बरदह जनपद आजमगढ़

4.संदीप सरोज पुत्र जमुना सरोज निवासी इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

5.रवि राव पुत्र स्व0 मंशा राव निवासी नमदारपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-184/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 सुरेश चन्द मिश्रा, उ0नि0 रितेश खरवार, हे0का0 अजय कुमार यादव, का0 अजय पटेल, का0 देवब्रत वर्मा,रि0आ0 अजय चौधरी, रि0आ0 कृष्णा सिंह, रि0आ0 रामकैलाश निषाद, थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

03. थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

जमीन की खरिद-फरोख्त व पैसों के लेन देन को लेकर साथियों ने षड़यन्त्र कर की अपने साथी की हत्या

थाना मुबारकपुर पुलिस को हत्या कांड के खुलासे में बड़ी सफलता, दो अभियुक्त गिरफ्तार

सीडीआर व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, फारेन्सीक व मेडिकोलिगल के आधार पर हत्या प्रकरण का खुलासा, घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद

सुशील हत्याकांड में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध असलहा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 21.05.2026 को वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र सन्तराज ग्रा0 कोढ़वाँ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दिया गया था, कि दिनाँक 20.05.2026 की रात्रि 10 बजे वादी का भाई सुशील अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिन्टू यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर के साथ उसके चार पहिया वाहन से निमंत्रण मे गये थे । उमाशंकर यादव द्वारा वादी को लगभग 12 बजे रात्रि में सूचना भेजवायी गयी कि रानीपुर गाँव जाने वाले मुख्य मार्ग हनुमान मन्दिर के पास पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरजू सिंह सा0 कोढ़वाँ थाना जहानागंज

जनपद आजमगढ़ एवं अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी बनवारी मोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आवेदक के भाई सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2), 5, SC/ST ACT बनाम 1.पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरजू सिंह सा0 कोढ़वाँ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, 2.अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी बनवारी मोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व 3. एक अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

➡ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल द्वारा प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना सीडीआर, इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सीन रिक्रियेसन आदि से अभियुक्तों 1. उमाशंकर उर्फ पिन्टू यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ तथा 2. वीरेन्द्र उर्फ बिन्दू यादव पुत्र स्व0 सत्यदेव यादव पता कोढ़वा अचलपार, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 26.05.2026 को पुलिस उपाधीक्षक/थाना प्रभारी मुबारकपुर मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू सठियांव स्टेशन की तरफ जा रहा है जो कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक/थाना प्रभारी मय हमराह द्वारा सठियांव से रेलवे स्टेशन को ओर जा रहे 01 संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो भागना चाहा जिसे मौके से समय करीब 01.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू पुत्र प्रेमचन्द यादव सा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष बताया जिसके पास से 400 रुपये बरामद हुआ।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त वीरेंद्र यादव उर्फ बिन्दु यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी अचलपार कोढवा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को कोढ़वा अचलपार मुख्य मार्ग पर स्थित मन्दिर के पास से समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 150 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस घटना स्थल के पास झाड़ी से बरामद किया गया।

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ बिन्दू यादव की निशानदेही पर)

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता-

1. उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू पुत्र प्रेमचन्द यादव सा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष।
2. वीरेन्द्र यादव उर्फ बिन्दु यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी अचलपार कोढ़वा, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20.05.2026 को पूर्व योजना के तहत उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू यादव के बुलाने पर वीरेंद्र यादव उर्फ बिन्दु यादव रानीपुर गया था। जहां पर उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू अपने चार पहिया वाहन के साथ मिला। उसकी गाड़ी मे पहले से सुशील कुमार पुत्र सन्तराज निवासी कोढ़वा, थाना जहानागंज, आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष मौजूद था जो नशे की हालत मे था। अभियुक्त गाड़ी को रानीपुर हरिजन बस्ती के आगे सुनसान रास्ते पर ले गये जहां पर उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू ने जमीन की खरिद-फरोख्त व पैसों के लेन देन की बात को लेकर ड्राइवर सीट के बगल मे बैठे सुशील कुमार के सिर मे गोली मार दिया, जिससे मौके पर सुशील कुमार की मृत्यु हो गयी। उमाशंकर यादव

अपनी गाड़ी मे ड्राइवर के बगल वाली सीट के शीशे मे 01 राउण्ड फायर तथा 01 राउन्ड गाडी पर फायर किया और वीरेंद्र यादव को तमंचा व 02 कारतूस देकर छिपाने के लिये मौके से भगा दिया। वीरेंद्र यादव उक्त अवैध तमंचे को घटनास्थल के पास स्थित बिजली के खंभे के पास झाड़ी मे रखकर भाग गया था। जिसे अभियुक्त विरेन्द्र यादव की निशादेही पर बरामद किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः-

वीरेन्द्र यादव उर्फ बिन्दु यादव

1-मु0अ0सं0 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू

1-मु0अ0सं0 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

2-मु0अ0सं0 297/2017 धारा 307,419,420467,468,471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-पु0उपा0/थाना प्रभारी शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना मुबारकपुर आजमगढ।

2-व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

04.थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

झपटमारी की घटना का सफल अनावरण, मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल/गिरफ्तार व बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला बदमाश जवाबी कार्रवाई में घायल, 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, 01 लेडीज बैंग, 9800/- रुपये नगद, व 01 मोटरसाइकिल बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक दिनांक 23-05-2026 को वादिनी मुकदमा महजवीन w/o शादाव अहमद ग्राम जमीन रसूलपुर थाना रौनापार जिला आजमगढ द्वारा थाना बिलरियागंज पर तहरीर दिया गया था कि वादिनी बिलरियागंज मार्केट से ई रिक्सा द्वारा अपने घर जा रही थी कि वधैला के पास पिछे से आ रहे अज्ञात बाइक सवार दो व्यक्ति झपट्टा मार कर प्रर्स ले लिये जिससे जिसमे पैसे व मोबाइल फोन भी था। जिसके सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 133/2026 धारा- 304(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त काले रंग की पल्सर

मोटरसाइकिल से नहर पटरी मार्ग से होते हुए नसीरपुर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर मौजूद पुलिस बल द्वारा नसीरपुर मोड़ के पास घेराबंदी की गयी कि सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो स्वयं को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियन्त्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश फुजैल अहमद पुत्र अलीम निवासी अम्बेडकर नगर कसाई मोहल्ला कस्बा व थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा उसके साथी 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी बिलरियागंज उसके पश्चात सदर अस्पताल भेजा गया।

घटना स्थल से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, झपटमारी के- 9800/- रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन व 01 लेडीज बैंग एवं मुठभेड़ में सम्मिलित 01 मोटरसाइकिल बरामद हुआ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 136/26 धारा 109(1) बीएनएस व 9/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, बाल अपचारी को मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 136/26 धारा 109(1) बीएनएस व 9/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, झपटमारी के- 9800/- रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन व 01 लेडीज बैंग एवं मुठभेड़ में सम्मिलित 01 मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- फुजैल अहमद पुत्र अलीम निवासी अम्बेडकर नगर कसाई मोहल्ला कस्बा व थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष। (घायल)

2- बाल अपचारी 01 नफर

आपराधिक इतिहास (फुजैल अहमद)-

01. मु0अ0सं0- 249/2023 धारा 380/457/411 भादवि थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

02. मु0अ0सं0- 367/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

03. मु0अ0सं0- 133/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

04. मु0अ0सं0- 136/26 धारा 109(1) बीएनएस व 9/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ मे सम्मिलित पुलिस टीम –

थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव, उ0नि0 रतन सिंह पटेल, उ0नि0 गिरिजेश यादव, का0 रामबाबू यादव, का0 संजय सिंह द्वितीय, का0 अनिल विश्वकर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

जनपद-मऊ

1. जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों की साइबर पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 04 पीड़ितों की कुल 87680/- धनराशि वापस कराई गई।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों से कुल 04 पीड़ितों की कुल धनराशि 87680/- रुपये वापस कराई गई। जिसमें क्रमशःथाना घोसी पुलिस द्वारा एक पीडित मनीशानन्द सिंह पुत्र अमला सिह निवासी लखनी मुबारकरपुर को 55147/- रुपये व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा एक पीडित दिनेश चौहान पुत्र मरछू चौहान निवासी नगवां को 10003/- थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा एक पीडित हुसैन असांरी पुत्र जकी अहमद निवासी बुनकर कालोनी को 15000/- रुपये तथा रामपुर पुलिस द्वारा एक पीडिता ऊषा देवी पत्नी सियाराम चौहान निवासी धनेवा को 7530/- उनके खाते में वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

2. गुमशुदा 01 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 12600 रुपये) बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में थाना कोपागंज जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 01 शिकायत का निस्तारण कर तत्काल तकनीकि सहायता आवेदक 01. आशुतोष पुत्र रामकृत राजभर निवासी डाडी थाना कोपागंज जनपद मऊ के 01 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल का विवरण: –

1.एक अदद Realme Narzo 50A (कीमत 12600 रूपये) ।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

3. हत्या का प्रयास करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी तमंचा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्वेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/26 धारा 3(5)/109(1)/352/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT में वाछिंत अभियुक्त शंकर चौहान पुत्र स्व0 लालबचन चौहान निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक 25.05.2026 को रात्रि करीब 11.20 बजे जमुनीपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।

अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 105/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

2. मु0अ0सं0 74/26 धारा 3(5)/109(1)/352/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्त

1. शंकर चौहान पुत्र स्व0 लालबचन चौहान निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

बरामदगी

1. अवैध नाजायज 01 अदद .315 वोर तमंचा एवं 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

4. दिनांक 17.05.2026 को थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत करमी ग्राम में हुई गोली-बारी घटना में मु0अ0स0 52/26 धारा 126(2), 131, 109, 3(5), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, तथा अभियुक्तों की गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, शेष वाछिंत अभियुक्त, 1. चन्दू यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी नीवी बुर्जुग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, 2. गौरव प्रताप यादव पुत्र सर्वेश यादव निवासी मुहम्मदल्ला भदुला थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के उपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा 25000-25000 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया, उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में स्वाट/एसओजी व अन्य टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जनपद -बलिया

01.थाना उभाव जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 12 अदद बैटरी बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी श्री दिनेश कुमार शुक्ला के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय श्री आलोक कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में थाना उभांव पुलिस टीम को मिली सफलता।

घटना का विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.05.2026 को थाना उभांव पर सुशील कुमार सिंह निशा सिकोर्टी टीम बलिया नि0 मुंडेरा थाना रसड़ा जनपद बलिया द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि ग्राम- शंकरपुर(लेदुरही) में इण्डस टावर लगा है जिसकी टावर संख्या 3153343 है साईड के देख रेख व संचालन का कार्य टेकनिशियन दिलीप सिंह के मो0नं0 7408434616 द्वारा किया जाता है इनको सुबह लगभग 3.00 बजे सुचना प्राप्त हुई कि दिनाँक 7/5/2026 की रात्रि मे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टावर मे लगा बैट्री बैंक अमर राजा 600 AH चौबीस सेल चोरी हो गया है इससे नेटवर्क बाधित हुआ है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2026 को थाना उभांव पुलिस टीम के उ0नि0 रामधारी सोनकर मय फोर्स के देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित विवेचना सम्बन्धित मु0अ0सं0 103/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस मे मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1.राकेश सिंह उर्फ बुच्चन सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह नि0 राजपुर थाना उभांव जनपद बलिया 2.गोलू यादव पुत्र

नीबूलाल यादव नि0 गौवापार थाना नगरा जनपद बलिया 3.राकेश यादव पुत्र अज्ञात नि0 ताडीबडागांव थाना नगरा जनपद बलिया 4. एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा पिकअप UP60AT4708 पर लादकर बेचने जा रहे हैं। उक्त सूचना पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खन्दवा के पास से वाहन सं0 UP60AT4708 के चालक राकेश सिंह उर्फ बुच्चन सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह नि0 राजपुर थाना उभांव जनपद बलिया की समय 02.35 बजे गिरफ्तारी की गयी शेष अभियुक्तगण 1.गोलू यादव पुत्र नीबूलाल यादव नि0 गौवापार थाना नगरा जनपद बलिया 2.राकेश यादव पुत्र अज्ञात नि0 ताडीबडागांव थाना नगरा जनपद बलिया 3.एक व्यक्ति अज्ञात की तलाश की जा रही है। वाहन पर लदे 12 INDUS TOWER LIMITED बैटरी नं0 1.0R151238910 2.0R151238907(डैमेज है) 3.0R151238905 4.0R151238908 5.0R151238914 6.0R151238915 7.0R151238913 8.0R151238923 9.0R151238919 10.0R151238911 11.0R151238925 12.0R151238922 की बरामदगी मौके से की गयी तथा अभियुक्त राकेश सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग*

1. मु0अ0सं0 103/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना उभांव जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राकेश सिंह उर्फ बुच्चन सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह नि0 राजपुर थाना उभांव जनपद बलिया

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 233/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना उभांव जनपद बलिया